

राज्यपाल हरचिंदन ने न्यायाधपितरिमेश सनिहा को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की दलाई शपथ

चर्चा में क्यों?

29 मार्च, 2023 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल वशिष्ठभूषण हरचिंदन ने राजभवन के दरबार हॉल में न्यायाधपितरिमेश सनिहा को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दलाई।

परमुख बडि

- उल्लेखनीय है कि न्यायाधपितरिमेश सनिहा ने छत्तीसगढ़ के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किया। इसके पूर्व रमेश सनिहा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे।
- वदिति है कि न्यायमूर्ति रमेश सनिहा ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी का स्थान लिया, जो 10 मार्च को सेवानिवृत्त हुए थे।
- न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी की सेवानिवृत्ति के बाद 10 मार्च को न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
- बलिसपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेने वाले रमेश सनिहा ने साल 1990 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी की है। साल 2011 में उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया।
- उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-222 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण संबंधी प्रावधान किया गया है।
- हालाँकि वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण कोलेजियम व्यवस्था के तहत किया जा रहा है, जिसका वर्तमान स्वरूप 'थर्ड जजेस केस 1998' में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से विकसित हुआ है।

